of this project from the Planning Commission. The latest cost of this project is estimated over Rs. 6000 crores which has to be funded by the State.

Eligibility of ex-servicemen recruited as carpenter during second world war for pension

1954. SHRI PRITHIBI MAJHI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the ex-servicemen who were recruited as carpenters during Second World War period in August, 1941 and discharged in 1947 are eligible for pension;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) which authority is considering the pension cases of above category of ex-service personnel?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is no proposal under consideration for grant of pension to such ex-servicemen.

1955. *[Transferred to the 11th May, 1988]*.

मंत्रालय द्वारा प्राप्त शिकायतें

1956. **श्री शरद यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक शिकायत विभाग को केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतें उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध प्राप्त हुई हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनमें कितनी शिकायतों का समाधान कर दिया है; और

(ग) केन्द्र और राज्य सरकारों से संबंधित कितनी शिकायतों का डेढ वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी समाधान नहीं किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) से (ग) प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग को ऐसी कई शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनका संबंध राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से होता है। सामान्यत: इस विभाग में प्राप्त होने वाली शिकायतों से संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रीयों को समुचित कार्रवाई के लिए भेज दी जाती हैं। साथ ही संबंधित व्यक्ति/संघ को, जिससे शिकायत प्राप्त होती है, यह सूचित कर दिया जाता है कि उसकी शिकायत, स्थिति अनुसार संबंधित राज्य सरकार/ केन्द्रीय मंत्रालय, को भेज दी गई है तथा यह कि वह उनसे सम्पर्क करे। केवल कुछ ही चुने मामलों में रिपोर्ट मंगवाई जाती हैं तथा आगे की कार्रवाई मानीटर की जाती है। केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों से भी इस विभाग द्वारा समय समय पर, शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ बनाने तथा सुव्यवस्थित करने का अनुरोध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।

इस विभाग को वर्ष 1985, 1986 तथा 1987 में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या क्रमश: 3570, 9087 तथा 11642 रही है। इनमें से उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित शिकायतें तीन वर्षों में क्रमश: 80, 284 तथा 591 हैं।

छावनी बोर्ड लखनऊ द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रेषित याचिका पर खर्च की गई राशि

1957. **श्री शरद यादव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी बोर्ड, लखनऊ द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रेषित याचिका सं० 6563/87 और 12490/87 के संबंध में, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को फीस, उनको लखनऊ से दिल्ली ले जाने और वापस लाने पर, अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों को लखनऊ से दिल्ली ले जाने

व लखनऊ वापस लाने पर तथा इस संबंध में अन्य खर्चों पर, अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई; क्या उक्त प्रेषित की गई याचिकाये छावनी बोर्ड, लखनऊ के अधिकार क्षेत्र में थी, क्या इन याचिकाओं के प्रेषित किए जाने और उन पर किए गए खर्च के संबंध में भारत सरकार की मंजूरी और अनुमति प्राप्त कर ली गई थी ;

(ख) क्या छावनी बोर्ड, लखनऊ द्वारा चलाई जा रही तोप खाना बाजार डिस्पैंसरी, इसमें चार चिकित्सकों के सेवारत होने के बावजूद पिछले दिसम्बर से चिकित्सक विहिन है; क्या इस संबध में छावनी बोर्ड से कोई अनुमति ली गई है और किस आधार पर तथा किन नियमों के अधीन इस प्रकार की कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या निदेशक, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान का छावनी अधिशासी अधिकारी, लखनऊ द्वारा की जा रही अनियमितताओं और अनधिकृत रूप से किए जा रहे खर्चों के संबंध में और इस तथ्य के संबंध में कि वह लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कोई जानकारी है ; यदि हां, तो उनके द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में कोई जांच कराने का विचार रखती है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) याचिका सं० 6563/87 और 12490/87 पर क्रमश: 19500/-रुपए और 24069/- रुपए खर्च किया गया था । इसमें वकीलों को दी गई फीस की राशि शामिल है । वकीलों की यात्रा आदि पर 16269/- रुपए व्यय हुए । इस संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर 5237/- रुपए खर्च हुए । ये याचिकायें , छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 11, 49 और 52 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अध्यक्ष, छावनी बोर्ड और मध्य कमान के जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ की विधिवत मंजूरी और अनुमति से दायर की गई थी ।

छावनी जनरल अस्पताल के लिए दो पूर्णकालिक डाक्टरों के पद (एक पुरुष डाक्टर और एक महिला डाक्टर) और तोपखाना बाजार डिस्पेंसरी, लखनऊ के लिए एक अंशकालिक डाक्टर का पद स्वीकृत है । छावनी जनरल अस्पताल से एक पूर्णकालिक डाक्टर का स्थानान्तरण कर दिया गया था । अत: तोपखाना बाजार डिस्पेंसरी के अंशकालिक डाक्टर को दिसम्बर, 1987, जनवरी, 1988 और फरवरी, 1988 में उक्त अस्पताल का काम भी देखने के लिए कहा गया था । यह प्रबन्ध अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण छावनी कार्यपालक अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने छावनी निधि कर्मचारी नियमावली, 1937 के 7(2) के अनुसार उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत किया था । डिसपैंसरी में अब नियमित डाक्टर तैनात कर दिया गया है । इस संबंध में किसी प्रकार की जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Development of M. Habana vaccine

1958. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that CDRI, Lucknow have developed M. habana vaccine which as per trial performs well in humans against leprosy and if so, the reasons for not marketing and manufacturing this vaccine at the earliest; and

(b) whether it is also a fact that the CDRI vaccine has also been tested at Clinical Research Centre of (MRC) Medical Research Council in U.K. and if so, full details of the trials and the reasons for delays in extending these trials in human on a mass scale?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) CDRI